NDIS शब्दकोष

ईज़ी रीड (पढ़ने में आसान)

NDIS Glossary
हिन्दी / Hindi

ndis.gov.au

ndis
प्रदाता
नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एजेंसी

NDIS से सम्बन्धित शब्दों की सूची

यह दस्तावेज़ NDIS में प्रयोग किए गए शब्दों का वर्णन करता है।

एक्सेस (सेवा तक पहुँच) के लिए निवेदन फॉर्म

आपके द्वारा भरा जाने वाला एक फॉर्म जिसका प्रयोग NDIA यह फैसला लेने के लिए करता है कि क्या आपको NDIS पैकेज मिलेगा या नहीं।

एक्सेस संबंधी आवश्यकताएँ

NDIS प्राप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि

- आप ऐसी असमर्थता से ग्रस्त हों जो समाप्त नहीं होगी
- आपकी आयु 65 साल से कम हो
- आप ऑस्ट्रेलिया में रहते/रहती हों
- आप एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हों या आपके पास एक खास दस्तावेज़ हो जिसमें यह लिखा हो कि आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते/सकती हैं।

देखभालकर्ता (केयरर)

वह व्यक्ति जो असमर्थता से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल करता है।

देखभालकर्ता को वेतन नहीं मिलता है और आम-तौर पर वह परिवार का कोई सदस्य होता है।

विकल्प और नियंत्रण

NDIS के साथ आप यह फैसला ले सकते/सकती हैं कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है।

आप यह फैसला लेते/लेती हैं कि आपको क्या सहायता मिलती है और आपकी सहायता कौन करता है।

सामुदायिक भागीदारी

वे तरीके जिनके द्वारा लोग अपने समुदाय में शामिल होते हैं।

सामुदायिक सेवाएँ

वे गतिविधियाँ और सेवाएँ जिनका प्रयोग हर कोई कर सकता है।

चर्च, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरी, ग्रुप्स (समूह)।

असमर्थता

ऐसी असमर्थता जो समाप्त नहीं होगी

- संवेदनात्मक असमर्थता जैसेकि न सुन पाना
- शारीरिक असमर्थता
- बौद्धिक असमर्थता
- किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से पैदा होने वाली मनोसामाजिक असमर्थता।

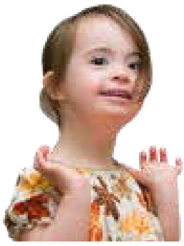

शुरुआती बचपन शुरुआती हस्तक्षेप - ECEI

असमर्थता से पीड़ित बच्चों को उस समय मदद देना जब वे छोटे हों ताकि उनका आगे का जीवन बेहतर बन सके।

पात्रता

इसका यह अर्थ है कि आप NDIS पैकेज पाने के नियमों को पूरा करते/करती हैं।

NDIS **एक्सेस के लिए निवेदन फॉर्म** का प्रयोग यह फैसला लेने के लिए करती है कि क्या आपको NDIS मिलेगी या नहीं।

औपचारिक सहायता

ऐसी सहायता जिसका भुगतान आप अपने NDIS पैकेज के साथ करते/करती हैं।

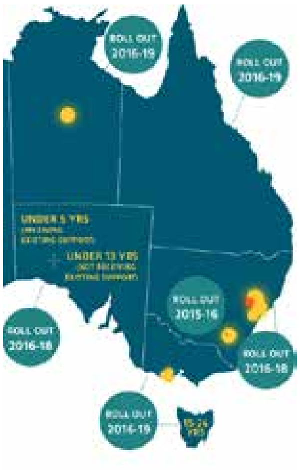

फुल स्कीम रोल आउट (पूरी योजना की शुरुआत)

जब NDIS इसके लिए पात्र हरेक व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगी।

धनराशि प्राप्त सहायताएँ

ऐसी सहायता जिसके लिए NDIS भुगतान करती है।

ऐसी सहायता जो आपको रोज़मर्रा की गतिविधियाँ करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है।

लक्ष्य

वे काम जो आप भविष्य में करना चाहते/चाहती हैं, जिनसे आपको एक अच्छा जीवन पाने में मदद मिलेगी।

अभिभावक

वह व्यक्ति जो असमर्थता से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए कानूनी तौर पर विकल्प ले सकता है।

अनौपचारिक सहायता

आपके जीवन में शामिल लोगों से मिलने वाली सहायता, जैसेकि आपका परिवार, आपके मित्र और पड़ोसी।

बीमा विधि

NDIS जल्दी से जल्दी लोगों की मदद करती है, ताकि उनका आगे का जीवन बेहतर बन सके।

बीमा संबंधी सिद्धांत

असमर्थता के साथ पैदा हुए या असमर्थता से पीड़ित प्रत्येक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को अपने लिए ज़रूरी सहायता मिलेगी।

जीवन में घटित असमर्थता का अनुभव

असमर्थता से पीड़ित होने का आपके जीवन का अनुभव।

स्थानीय क्षेत्रीय समन्वयक (लोकल एरिया कॉर्डिनेटर - LAC)

वह व्यक्ति जो आपकी योजना को लिखने और NDIS पैकेज प्राप्त करने में आपकी मदद करता है।

वह आपकी योजना का प्रबंधन करने और सहायता व सेवाएँ प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है।

मुख्यधारा सेवाएँ

वे सेवाएँ जिनका प्रयोग हरेक व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

जैसेकि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और रोज़गार सेवाएँ।

बाज़ार

सेवाओं का संचालन करने वाले लोग या वे लोग जिनके पास उन व्यक्तियों को बेचने वाली वस्तुएँ होती हैं जिनके पास NDIS पैकेज होता है।

बहु-विषयक टीम

अलग-अलग योग्यताओं वाले लोगों की टीम जो NDIS से जुड़े किसी व्यक्ति की सहायता करने के लिए मिलकर काम करती है।

NDIA

राष्ट्रीय असमर्थता बीमा संस्था (नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एजेंसी)

NDIS का संचालन करने वाले सरकारी लोग।

NDIS

राष्ट्रीय असमर्थता बीमा योजना (नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम)।

असमर्थता से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों की सहायता करने का नया तरीका।

मनोनीत व्यक्ति

वह व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए फैसले ले सकता है जिसे विकल्प लेने में मदद की ज़रूरत हो परन्तु जिसके माता-पिता या कोई अभिभावक न हो।

भागीदार

असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति जिसे NDIS मिलती है।

भागीदार वक्तव्य

NDIS से जुड़े व्यक्ति के बारे में जानकारी

- वह कहाँ और किसके साथ रहता है
- मित्र और परिवार
- उसे मिलने वाली सहायता
- वह हर रोज़ क्या करता है
- उसके लक्ष्य।

असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति

वह व्यक्ति जिसे इस तरह के काम करने के लिए मदद की ज़रूरत पड़ती है, जैसेकि

- कपड़े पहनना
- इधर-उधर आना-जाना
- चीज़ों को समझना
- दोस्त बनाना
- नौकरी प्राप्त करना।

योजना

NDIS से जुड़े हर व्यक्ति के पास एक योजना होती है।

आपका योजनाकार आपके लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए आपके लिए ज़रूरी चीज़ों की सूची लिखता है।

आपका योजनाकार यह बताता है कि आपको क्या धनराशि और सहायता मिलेगी।

गोपनीयता

NDIA का गोपनीयता नोटिस आपको बताता है कि

- NDIA को आपके बारे में किस जानकारी की ज़रूरत है
- NDIA आपके बारे में किन लोगों से जानकारी का पता लगा सकती है
- NDIA को यह जानकारी क्यों चाहिए
- NDIA इस जानकारी के साथ क्या करती है।

प्रदाता

कोई ऐसा व्यक्ति जो NDIS पैकेज प्राप्त करने वाले लोगों के लिए सेवा का संचालन करता है या उन्हें सामान बेचता है।

लोग यह चयन कर सकते हैं कि वे किस प्रदाता का प्रयोग करना चाहते हैं और यदि वे खुश नहीं हैं तो वे प्रदाता बदल सकते हैं।

NDIS के पास पंजीकृत प्रदाताओं की सूची है।

मनोसामाजिक असमर्थता

वह परिस्थिति जब किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य समस्या के कारण असमर्थता उत्पन्न होती है।

इन लोगों को NDIS मिल सकती है।

यथोचित और ज़रूरी

यथोचित का अर्थ है कि यह उचित है।

ज़रूरी का अर्थ है कि आपको वास्तव में इसकी ज़रूरत है।

NDIS उन चीज़ों के लिए धनराशि देगी जो उचित हैं और जिनकी आपको वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरत है।

क्षेत्र

व्यापार और संस्थाएँ जो असमर्थता से पीड़ित लोगों को सेवाएँ प्रदान करती हैं।

लोगों के समूह जो असमर्थता से पीड़ित लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं।

आत्म-प्रबंधन (फंडिंग)

जब कोई व्यक्ति अपनी NDIS धनराशि से प्रदाताओं को सीधे भुगतान करता है।

व्यक्ति अपनी पूरी या आंशिक NDIS धनराशि का प्रबंध कर सकता है।

आत्म-प्रबंधन

निम्नलिखित काम करने के लिए व्यक्ति को कितनी मदद की ज़रूरत है

- रोज़मर्रा के काम करना
- विकल्पों का चयन करना
- अपने खुद के पैसे का प्रबंधन करना
- यदि कोई समस्या हो, तो यह जानकारी प्राप्त करना कि उसे क्या करना चाहिए।

सेवा अनुबंध

वह दस्तावेज़ जो यह बताता है कि प्रदाता आपको क्या सहायता देता है और आप उसे भुगतान कैसे करेंगे।

आपूर्तिकर्ता

वह व्यक्ति जो असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति का समर्थन करने में मदद देने के लिए सामान बेचता है जैसेकि उपकरण।

सहायता

वे कार्य जो असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति की समुदाय का भाग बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में रोज़मर्रा की गतिविधियों को करने में मदद करते हैं।

कार्यबल

असमर्थता से पीड़ित लोगों के साथ काम करने वाले लोग।